झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 15 का संशोधन ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) में संशोधन के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(1) यह "झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016" कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 15 का संशोधन।

(क) झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 15(1) के पश्चात् निम्न प्रावधान (2) अन्तःस्थापित की जाती है -

(2) राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित क्षेत्र के एक विशिष्ट व्यक्ति को सदस्य के रूप में अधिसूचना द्वारा मनोनीत कर सकेगी;

परन्तु ऐसे सदस्य का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

परन्तु राज्य सरकार ऐसे मनोनीत सदस्य का मनोनयन रद्द करने के लिए भी सक्षम होगी;

परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य ग्राम पंचायत का पदधारी नहीं हो सकेगा।

(ख) झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 15 में उपधारा में अंकित अंक (2) को विलोपित कर (3) के रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा।

यह विधेयक झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 83--50--2-12-2016